संख्या : 1-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2008-34-दो(1)/04

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 17 अप्रैल, 2008

विषयः रुड़की, जिला हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 45-दो(8)/XXXVI(1)/2007-34-दो(1)/04, दिनांक 14.11.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रुड़की, जिला हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रु० 6,03,96,000/-(छः करोड़, तीन लाख छियानवे हजार रुपये मात्र) के विरूद्ध स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु० 2,03,96,000/-(दो करोड़ तीन लाख छियानवे हजार रुपये मात्र) को वित्तीय वर्ष 2008-2009 में व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाय । धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त की स्वीकृति दी जायेगी ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय । लागत के पुनः पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण चार समान किश्तों में किया जाय एवं पूर्व स्वीकृत किश्त के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।

(6) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(9) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(10) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-1-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2008-34-दो(1)/04-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, हरिद्वार ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार(रुड़की) ।
5. मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल ।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की, जिला हरिद्वार ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।